



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042023-245239
CG-DL-E-18042023-245239

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1687]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945

No. 1687]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1767(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3262(अ), तारीख 20 जुलाई 2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र क्रमांक 3102 तारीख 21 जुलाई 2022 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में "कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, अनुभाग: पिपावाव से आई०एच०बी० लिमिटेड डुमाड" अंतर्गत गुजरात राज्य में तालुका सावली, जिला वडोदरा में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु आई०एच०बी० लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 29/09/2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी श्री आवला भाई खातरा भाई बारीआ ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी लिमिटेड पूर्णतयः उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील:- सावली

जिला:- वडोदरा

राज्य:-गुजरात

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लाक / सं.	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
पोइचा (रा)	नाला		00	00	06
	23		00	00	03
	कच्चा रास्ता		00	00	18
	159		00	01	87
पोइचा (रा)	160		00	07	63
(जारी...)	161	1, 2पैकी1, 2पैकी2	00	02	45
	167	2	00	04	73
	176	2पैकी2	00	02	20
	175	1	00	04	83
	173	पैकी1	00	02	69
	रोड़		00	00	70
	262	2	00	03	69
	261	अ/पैकी1	00	04	76
	284	1पैकी1	00	01	69
	284	1पैकी2-नहेर	00	01	36
	284	2पैकी2-नहेर	00	01	26

	284	2पैकी1पैकी	00	03	55
	285	पैकी1	00	07	93
	रोड़		00	00	49
	342	पैकी1	00	07	67
	345	3	00	05	42
	344	पैकी1, पैकी2	00	02	44
	364	पैकी1, पैकी2	00	01	15
	365	पैकी	00	06	29
	366	पैकी1	00	06	85
	रोड़		00	00	45
	409		00	13	02
	425	पैकी1	00	03	77
	426	पैकी1	00	04	65
	427	पैकी1	00	04	74
मोक्सी	282		00	02	53
	281	1,3पैकी,4&5	00	03	30
	277	1पैकी,2/अ, 2/ब	00	09	27
	276		00	03	68
	275	1 & 2	00	04	52
	270	1	00	03	09
	271		00	04	50
	272		00	00	12
	249		00	00	60
	248		00	03	49
	रोड़		00	00	72
	247		00	03	13

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I-पार्ट(1)/ई-45901]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1767(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 3262(E) dated the 20th July 2022, published in the Extra Ordinary Gazette of India No. 3102 dated 21st July, 2022, issued under Sub-Section-(1) of Section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla -Gorakhpur LPG Pipeline Project , Section:- Pipavav to IHB Limited Dumad” for the transportation of LPG in Savli Taluka, District Vadodara in the State of Gujarat by IHB Limited;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owners up to 29/09/2022;

And whereas, the Competent Authority Shri Avalabhai Khatarabhai Baria has under Sub-Section-(1) of Section-6 of said Act submitted report to the Central Government;

And Whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**Tehsil: -Savli****District: - Vadodara****State: - Gujarat**

Mouja / Village	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Poicha (Ra)	Nala		00	00	06
	23		00	00	03
	Cart track		00	00	18
	159		00	01	87
	160		00	07	63
	161	1, 2/P1, 2/P2	00	02	45
	167	2	00	04	73
	176	2/P2	00	02	20
	175	1	00	04	83
	173	P1	00	02	69
	Road		00	00	70
	262	2	00	03	69
	261	A/P1	00	04	76
	284	1P1	00	01	69
	284	1P2-Canal	00	01	36
	284	2P2-Canal	00	01	26

	284	2P1P	00	03	55
	285	P1	00	07	93
	Road		00	00	49
	342	P1	00	07	67
Poicha (Ra) (Cont...)	345	3	00	05	42
	344	P1, P2	00	02	44
	364	P1, P2	00	01	15
	365	P	00	06	29
	366	P1	00	06	85
	Road		00	00	45
	409		00	13	02
	425	P1	00	03	77
	426	P1	00	04	65
	427	P1	00	04	74
Moksi	282		00	02	53
	281	1,3P,4&5	00	03	30
	277	1P,2/A, 2/B	00	09	27
	276		00	03	68
	275	1 & 2	00	04	52
	270	1	00	03	09
	271		00	04	50
	272		00	00	12
	249		00	00	60
	248		00	03	49
	Road		00	00	72
	247		00	03	13

[F. No. : R-11025(15)/11/2019-OR-I –Part (1)/ E-45901]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.